Sixteenth Loksabha

>

Title: Need to increase land holding limit of small and marginal farmers of Bundelkhand.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने और सदन के सामने अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान) हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के अभाव के कारण और ऊबड़-खाबड़ जमीन होने के कारण वहां सन् 1971 की राजस्व संहिता से वहां के किसानों को एक विशेष स्टेटस मिला हुआ है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, वहां के सीमांत किसानों की सीमा ढाई गुना रखी गई है।...(व्यवधान) यानी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लघु-सीमांत किसनों की एक-दो हेक्टेयर है तो मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष परिस्थिति को देखते हुए, उसकी सीमा पांच हेक्टेयर तक सन् 1971 की राजस्व संहिता में रखा गया है।...(व्यवधान)

सीलिंग में भी उनको अधिकार दिया गया है। ...(व्यवधान) अन्य क्षेत्रों के बराबर ढ़ाई गुना ज्यादा जमीन उनकी मानी गई है। समस्या यह है कि उनको वहाँ लघु एवं सीमांत किसानों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ... (व्यवधान)

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों को वहाँ की राजस्व नियमावली के अनुसार पाँच हेक्टेयर भूमि तक लघु एवं सीमांत किसान की सीमा में मानकर यह राशि उपलब्ध करायी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।